न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/80/2023	2023/458	26.07.2023	08.04.2026

1. विजय कुमार पुत्र स्वः श्री ज्ञान चन्द जाति राजपूत निवासी पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० (मृतक)
   1/1– सन्तोष पत्नी स्वः विजय कुमार जाति राजपूत निवासी पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।
   1/2–सुनिता पुत्री स्वः विजय कुमार पत्नी सुनील कुमार जाति राजपूत निवासी न्याणा तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज०।
   1/3–संजना पुत्री स्वः विजय कुमार पत्नी भीम जाति राजपूत निवासी नौगांवा तहसील रामगढ जिला अलवर राज०।
   1/4–अनिता पुत्री स्वः विजय कुमार जाति राजपूत उम्र करीब 16 साल नाबालिग सरपरस्त माता सन्तोष पत्नी स्वः विजय कुमार जाति राजपूत निवासी पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।
   1/5–डिन्शु पुत्र विजय कुमार जाति राजपूत उम्र करीब 15 साल नाबालिग सरपरस्त माता सन्तोष पत्नी स्वः विजय कुमार जाति राजपूत निवासी पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।
   1/6–हिंमाशु पुत्र विजय कुमार जाति राजपूत उम्र करीब 11 साल नाबालिग सरपरस्त माता सन्तोष पत्नी स्वः विजय कुमार जाति राजपूत निवासी पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज०।

– अपीलांट्स

बनाम

1. उप तहसीलदार बहादरपुर, जिला अलवर राज०।
2. विशनो देवी पत्नी स्वः ज्ञानचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तह० व जिला अलवर राज० (मृतक)
3. आशा रानी पुत्री स्वः ज्ञानचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तह० व जिला अलवर राज०।
4. कांता पुत्री स्वर्गीय ज्ञानचंद जाति राजपूत निवासी गांव पीलवा पटवारी हल्का भजेड़ा उपतहसील बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज.।
5. मिंदो बाई पुत्री स्वः ज्ञानचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तह० व जिला अलवर राज०।
6. रेखा रानी पुत्री स्वः ज्ञानचन्द जाति राजपूत निवासी ग्राम पिलवा पटवारी हल्का भजेडा सब तहसील बहादरपुर तह० व जिला अलवर राज०।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 758 निर्णय दिनांक 28.05.2015 उप–तहसीलदार बहादरपुर (अलवर), जिला अलवर राज0।

उपस्थितः–

01–श्री कैलाश चन्द शर्मा –वकील अपी0

02–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 सं. 1

–:निर्णयः–

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार, बहादरपुर के आदेश दिनांक 28.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा ग्राम पिलवा स्थित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.44 हेक्टेयर के सम्बन्ध में मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत विरासत नामान्तरकरण संख्या 758 को Review करते हुए खारिज कर दिया गया था, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी।

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.44 है०, वाके ग्राम पिलवा, पोस्ट भजेडा, सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० में है। जो आराजी ज्ञानचन्द पुत्र खण्डू राम जाति राजपूत निवासी ग्राम पिलवा सब तहसील बहादरपुर तहसील व जिला अलवर राज० की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही है और ज्ञानचन्द उक्त आराजी का कााबिज कृषक खातेदार रहा है ज्ञानचन्द की दिनांक 09.01.2013 को ग्राम पिलवा में मौत हो चुकी है। जिस कारण मृतक ज्ञानचन्द को जीवित वारिस अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट के नाम उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर विरासत इंतकाल सं. 758 खोली जाकर राजस्व लोक अदालत उप तहसीलदार बहादरपुर के समक्ष राजस्व लोक अदालत अभियान वर्ष 2015 ग्राम भजेडा दिनांक 25.05.2015 के समक्ष रखा गया । जिस पर उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा पटवारी हल्का भजेडा की रिपोर्ट के आधार पर उक्त विरासत इंतकाल सं. 758 अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान के नाम अपने आदेश दिनांक 25. 05.2015 को मंजूर व स्वीकार किया गया। जिसके बाद अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान लगातार वादग्रस्त आराजी में बतौर मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान के काबिज दाखिल रहकर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन अभी हाल ही में अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी की बाबत अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोंडेंटान के हक में मृतक ज्ञानचन्द का मंजूर हुआ विरासत इंतकाल सं. 758 पुंस्चय विरासत इंतकाल मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान की जांच सही नही होने के कारण उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा दिनांक 28.05.2015 को खारिज कर दिया गया।

अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकोर्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त आराजी की बाबत अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोंडेंटान के हक में मृतक ज्ञानचन्द का मंजूर हुआ विरासत इंतकाल सं. 758 पुंस्चय विरासत इंतकाल मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान की जॉच सही नही होने के कारण उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा दिनांक 28.05.2015 को खारिज कर दिया गया। जिस पर उसी दिन दिनांक 13–7–17 को विवादित इंतकाल आदेश की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13–7–17 को नकल प्राप्त की गई। अपील अपीलार्थी उप तहसीलदार बहादरपुर के आदेश दिनांक 28.05.2015 से व्यथित होकर अपील पेश की जा रही है जिससे यह अपील अंदर अवधि पेश है फिर भी जो समय जानकारी के अभाव में व्यथित हुआ है वह काबिले कंडोन है जिस हेतु पृथक से आवेदन पत्र दफा 5 पेश है। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंट को तलब नहीं किया गया और न ही सुना गया। तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मौके कब्जे की कोई जॉच रिपोर्ट तलब नही की गई और न ही मौके पर स्वयं ने जाकर मौके की जॉँच की। तहत न्यायालय द्वारा मृतक ज्ञानचन्द के अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान वारिस होने के अलावा अन्य कोई वारिस होने के संबंध में कोई जॉच रिपोर्ट तलब नही की गई है।

मृतक ज्ञानचन्द के अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को वारिस होना तथा इंतकाल सं. 758 को उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.05.2015 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की उजदारी पेश नहीं की गई और न ही मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान होना बतलाकर कोई दावेदारी पेश की गई। जिसके बावजूद भी तहत न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.05.2015 के द्वारा इंतकाल सं. 758 गलत व विधि विरूद्व खारिज किया गया है जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है।

मृतक ज्ञानचन्द के अन्य एक पुत्र संतान अजय कुमार भी था जिसकी शादी लक्ष्मी पुत्री गाडूराम निवासी ग्राम नीकच तहसील रामगढ़ जिला अलवर के साथ हुई थी। शादी के 1 माह पश्चात ही अजय कुमार बीमार हो गया। जिसको बीमार अवस्था में ही उसकी पत्नी लक्ष्मी छोडकर अपने पीहर चली गई। जिसके पश्चात एक–दो माह बाद ही अजय कुमार की दिनांक 02.05.2007 को मौत हो गई। चूंकि वक्त विरासत इंतकाल सं. 758 मंजूर

अ॰ ॰रिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किये जाने वक्त लक्ष्मी पुत्री गाडूराम की तलाश करने पर भी वह कही पर नही मिली तथा लक्ष्मी अपने पति अजय कुमार की मौत से तुरन्त बाद ही सुभाष पुत्र छिणका राम निवासी ग्राम नीकच तहसील रामगढ जिला अलवर के साथ पुनः विवाह कर लिया था तथा मृतक अजय कुमार की मौत हो जाने पर तुरन्त ही लक्ष्मी बाई अपना तमाम स्त्रीधन, सामान इत्यादि वापिस अपने पीहर वापिस ले गई तथा मृतक अजय कुमार के नुत्फे से लक्ष्मी देवी के कोई संतान पैदा नही हुई है और लक्ष्मी अपने पति सुभाष के साथ अपने ससुराल में रह रही है जिससे मृतक अजय कुमार को कोई संतान पैदा नही होने के कारण तथा उसकी पत्नी लक्ष्मी द्वारा तत्काल ही विरासत इंतकाल खोले जाने व तस्दीक किये जाने से पूर्व अपना दूसरा विवाह कर लिया था तथा अपने पति के साथ अपने ससुराल में रह रही है मृतक अजय कुमार के अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होने के कारण अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान के नाम ही वादग्रस्त आराजी की बाबत विरासत इंतकाल सं. 758 उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत भजेडा में दिनांक 25.05.2015 को मंजूर व स्वीकार किया गया है जिसका दिनांक 28.05.2015 को पुश्चय कर दिनांक 28.05.2017 को विधि विरूद्ध तरीके से खारिज किया गया था।

कार्यालय ग्राम पंचायत नीकच द्वारा भी अपने प्रमाण पत्र दिनांक 24.06.2017 के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि लक्ष्मी पुत्री गादूराम की शादी पुनः सुभाष पुत्र छिणकाराम निवासी नीकच के साथ हो चुकी है तथा ग्राम पंचायत भजेडा द्वारा भी अपने प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2017 के द्वारा भी यह तस्दीक किया जा चुका है कि अजय कुमार की शादी के एक माह बाद ही अजय कुमार के बीमार होने पर उसकी पत्नी लक्ष्मी अजय कुमार को छोडकर अपने पीहर चली गई और उसके करीब दो–तीन माह बाद ही अजय कुमार की मौत हो जाने पर उसकी पत्नी लक्ष्मी अपना छोटा मोटा समस्त सामान स्त्रीधन वापिस लेकर चली गई तथा अजय कुमार के नुत्फे से लक्ष्मी के कोई संतान पैदा नही हुई तथा वक्त विरासत इंतकाल मृतक ज्ञानचन्द खोले जाने लक्ष्मी की तलाश की गई लेकिन वह नही मिली। अजय कुमार पुत्र ज्ञानचन्द के कोई वारिस नही होना पाया गया। जिन दोनो ही प्रमाण पत्रों से यह प्रमाणित व साबित है कि मृतक अजय कुमार के अपीलार्थी व तरतीबी रेस्पोडेंटान के अलावा अन्य कोई वारिस नही है तथा इंतकाल सं. 758 दिनांक 25.05.2015 को उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा सही तरीके से स्वकार किया गया। लेकिन उक्त इंतकाल का पुंश्चय कर दिनांक 28.05.2015 को उप तहसीलदार बहादरपुर द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2015 के आधार पर इंतकाल सं. 758 अपीलार्थी दिनांक 28.05.2015 को खारिज फरमा दिया गया। जिस पटवारी हल्का ग्राम पंचायत भजेडा की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2015 यह कतइ उल्लेख नही किया गया कि अजय कुमार की पत्नी लक्ष्मी के कोई संतान पैदा नहीं हुई और लक्ष्मी देवी द्वारा अजय कुमार की मृत्यु पश्चात् व ज्ञानचन्द की मृत्यु तक तथा विरासत इंतकाल सं. 758 खोंले जाने तथा मंजूर किये जाने तक कोई पुनः विवाह नही किया। जिससे पटवारी हल्का भजेडा की अधुरी व गलत रिपोर्ट के आधार पर विरासत इंतकाल सं. 758 का पुश्चय कर दिनांक 28.05.2015 को खारिज किया गया ।

मृतक ज्ञानचन्द के अपीलार्थी के अलावा तरतीबी रेस्पोडेंटान वारिसान है तथा सालिम काबिज कृषक खातेदार है जिनका वादग्रस्त आराजी में हक व हिस्सा है। तरतीबी रेस्पोडेंटान वक्त अपील दायरी न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होने में सक्षम नही है। जिससे उन्हें तरतीबी रेस्पोडेंटान बनाया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाया जाकर तहत न्यायालय उप तहसीलदार बहादरपुर जिला अलवर का विवादित आदेश दिनांक 28.05.2015 को खारिज किया जाकर इंतकाल सं. 758 उप तहसीलदार बहादरपुर का आदेश दिनांक 25.052015 को उपहाल रखे जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अभिभाषक जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

-सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2015 के विरूद्व दिनांक 14.07.2017 को पेश की गयी है जो करीब 2 साल के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

-पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के तर्कों का परिशीलन किया गया। प्रकरण हाजा में विवादित भूमि खसरा नम्बर 263 का मूल खातेदार ज्ञानचन्द था, जिसकी मृत्यु दिनांक 09.01.2013 को हो गई थी। राजस्व लोक अदालत अभियान–2015 के तहत दिनांक 25.05.2015 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर मृतक ज्ञानचन्द के सही वारिसान अपीलार्थीगण एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में विरासत नामान्तरकरण संख्या 758 स्वीकृत किया गया था। उप–तहसीलदार, बहादरपुर द्वारा मात्र तीन दिन पश्चात, दिनांक 28.05.2015 को बिना अपीलार्थीगण को कोई नोटिस जारी किए या सुनवाई का अवसर प्रदान किए, उक्त नामान्तरकरण को खारिज कर दिया गया। विवादित आदेश इस त्रुटिपूर्ण तथ्य/आशंका पर आधारित प्रतीत होता है कि मृतक ज्ञानचन्द के एक अन्य पुत्र स्व. अजय कुमार की पत्नी लक्ष्मी को वारिस क्यों नहीं माना गया। ग्राम पंचायत भजेड़ा का प्रमाण पत्र दिनांक 06.05.2017 एवं ग्राम पंचायत नीकच का प्रमाण पत्र दिनांक 24.06.2017 से यह भली–भांति प्रमाणित होता है कि अजय कुमार की मृत्यु दिनांक 02.05.2007 (अर्थात मूल खातेदार ज्ञानचन्द की मृत्यु से पूर्व) को हो चुकी थी। अजय कुमार से लक्ष्मी को कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई और लक्ष्मी ने अजय की मृत्यु के पश्चात सुभाष पुत्र छिणकाराम निवासी नीकच के साथ अपना पुनर्विवाह (नाता) कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.05.2015 को नामान्तरकरण निरस्त करते समय पटवारी की जिस रिपोर्ट को आधार बनाया गया, वह अपूर्ण थी, क्योंकि उसमें लक्ष्मी के निःसंतान होने और पुनर्विवाह कर लेने के महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख नहीं था। अतः उक्त आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय, उप–तहसीलदार बहादरपुर (अलवर) द्वारा नामान्तरकरण संख्या 758 के सम्बन्ध में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 28.05.2015 को अपास्त/निरस्त किया जाता है। प्रकरण उप–तहसीलदार बहादरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 0.44 हेक्टेयर, वाके ग्राम पिलवा के संबंध में विधिक वारिसानों की जांच कर नियमानुसार पुनः इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)